# .—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव
राजस्व प्रकरण संख्या :— 37/2018.

**उनवान**

1. रामगोपाल पुत्र घीसालाल
2. सरोज पुत्री घीसालाल
3. सुनिता पुत्री घीसालाल
4. गणपत पुत्र घीसालाल
5. प्रेम पत्नी घीसालाल समस्त जाति खाती निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

**बनाम**

1. महावीर पुत्र सोहन
2. रघुवीर पुत्र सोहन
3. ओमप्रकाश पुत्र मुन्नी पुत्री सोहन
4. विमला पुत्री मुन्नी पुत्री सोहन
5. नन्दकिशोर पुत्र मुन्नी पुत्री सोहन समस्त जाति खाती निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
6. रामनाथ पुत्र छगना जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
7 राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
8. उप पंजीयंक, नसीराबाद
9. मैनेजर ओ.वी.सी. शाखा सनोद, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज

3 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
7 व 8 जरियें राज. पेरोकार
9 जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सकुरिया

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

—: आदेश :— दिनांक :— 10/9/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

| वंर्किग खसरा नम्बर | रकबा | [illegible]रा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|---|
| 4538 | 6—9—0 | 54[illegible] | 1.04 |
| 3099 | 0—18—0 | [illegible] | 0.15 |
| 3104 | 0—7—10 | 35[illegible] | 0.0[illegible] |
| 3102 | 0—19—10 | [illegible] | 0.1[illegible] |
| 3101 | 0—19—0 | 3537 | 0.15 |
| 3106 | 0—18—0 | 3540 | 0.15 |
| 4422 | 3—15—0 | 5087 | 0.61 |

उपरोक्त आराजी के मूल खातेदार मोहन व सोहन पुत्र भूरा कौम खाती राजस्व अभिलेख मे दर्ज थे। जिस पर प्रत्येक का बराबर हिस्सा अंकित था। मोहन की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस प्रार्थीगण ही है। सोहन की भी मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 5 है। दोनो पक्षो में आराजी मुतनाजा का बाहमी बंटवारा हो गया था जिसके अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 4538 रकबा 6–9–0 के हाल खसरा नम्बर 5441 रकबा 1.04 का अप्रार्थीगण के हक में मौखिक बंटवारा किया गया। तथा प्रार्थीगण के हक में वंर्किग खसरा नम्बर 3099, 3104, 3102, 3101, 3106, 4422 के हाल खसरा नम्बर 3529, 3533, 3536, 3537, 3540 व 5087 आये। बाहमी बंटवारे में आये वंर्किग खसरा नम्बर 4538 रकबा 6–9–0 के हाल खसरा नम्बर 5441 रकबा 1.04 का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने अप्रार्थी संख्या 6 के हक में बैचान किया गया तथा प्रार्थीगण द्वारा अपना हक व हिस्सा बैचान नही किया गया। किन्तु शून्य विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 6 को किये गये बैचान के कारण शेष आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को कोई हक व अधिकार शेष नही है। उक्त शेष आराजी पर भी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के बैचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता नेअपने हक व हिस्से की भूमि का बैचान किसी को नही किया है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त करते है। उनके द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी धमकी नही दी गयी है। प्रार्थीगण ने जवाबकर्ता को हैरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 6 व 9 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही किये जाने के कारण जवाब बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

**<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>** हाल खसरा नम्बर 5441 रकबा 1.04 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 6 की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 4538 रकबा 6–9–0 चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में मोहन व सोहन पि. भूरा के नाम दर्ज थे। नामान्तकरण संख्या 383 दिनांक 18.04.2000 द्वारा जरियें विक्रय उक्त आराजी मोहन व सोहन पि. भूरा के बजाय केता रामनाथ पुत्र छगना अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज हुयी। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को भूमि का बेचान नही किया गया किन्तु राजस्व अभिलेख में उकत आराजी का समपूर्ण हिस्सा जरियें विक्रय अप्रार्थी संख्या 6 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 का विक्रय पत्र पेश नही किया है जिससे सिद्व नही होता है कि उक्त आराजी उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 को विक्रय की गयी अथवा नही। हाल खसरा नम्बर 5441 के अतिरिक्त शेष आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नम्बर 5441 के अतिरिक्त शेष आराजी बाहमी बंटवारे में उनके हिस्से में आयी है किन्तु इसके समर्थन में उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता हो। खसरा नम्बर 5441 के अतिरिक्त शेष आराजी पर अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण के साथ सह खातेदार दर्ज है। जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। बाहमी विभाजन के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण खसरा नम्बर 5441 अप्रार्थी संख्या 6 की एकल खातेदारी में दर्ज है। शेष आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी में है। उक्त आराजी के बाहमी विभान के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। अप्रार्थीगण रिकार्ड में खातेदार दर्ज है। उनके विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

अतः ग्राम सनोद की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:45 IST
Reason: SelfAttested